

सं०: एस-18012/50/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) विभाग

\*\*\*\*\*

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली, 110003  
दिनांक- 14.12.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव, प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता,  
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: हाथ से मल उठाने के संबंध में।


महोदय/महोदया,

“हाथ से मल उठाने के उन्मूलन” की प्रगति पर उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। हाल की समीक्षा के दौरान यह पुनः कहा गया कि अस्वच्छ/सूखे शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दी जाए।

2. इस संबंध में यह उल्लिखित है कि एसबीएम(जी) के अंतर्गत अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु लक्षित लाभार्थियों के लिए प्रोत्साहन पहले से उपलब्ध है। एसबीएम(जी) के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए चिह्नित नहीं किए गए लाभार्थियों के संबंध में राज्य इस कार्य हेतु चौदहवें वित्त आयोग की निधियों का उपयोग करने हेतु पीआरआई को सुझाव दे सकते हैं।

3. इसे एसबीएम(जी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिलों में जिम्मेदार संबद्ध अधिकारियों और “हाथ से मल उठाने के रोजगार का उन्मूलन और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013” के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबद्ध प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।

भवदीया,

  
(रिश्मिस्टीना कुजूर)

अवर सचिव, (स्वच्छ भारत मिशन)

प्रति:

राज्य समन्वयक-एसबीएम(जी)-सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रतिलिपि:

1. सचिव के पीपीएस, डीडब्ल्यूएस/ संयुक्त सचिव(एसबीएम)के पीएस/निदेशक(एसबीएम)के पीएस।
2. तकनीकी निदेशक(एनआईसी)-मंत्रालय की वैबसाइट पर डालने के लिए।